



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 34

पटना, बुधवार,

29 श्रावण 1947 (श10)

20 अगस्त 2025 (ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	02-06
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—चन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	05-07
पूरक	---
पूरक-क	08-14

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

उद्योग विभाग

अधिसूचना

7 अगस्त 2025

सं० 3(स०)/उ०स्था०(स्थानांतरण)03/2023-3663—उद्योग सेवा संवर्ग के निम्नांकित परियोजना प्रबंधकों को कार्यहित में उनके नाम के सामने स्तम्भ-3 में अंकित कार्यालय में प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र का प्रभार दिया जाता है :-

क्र०	पदाधिकारी नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन	अंकित कार्यालय का प्रभार
1.	2.	3.
1.	श्री सचिन कुमार, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा।	परियोजना प्रबंधक—सह—प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा।
2.	श्री शिवेन्द्र कुमार, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, शिवहर।	परियोजना प्रबंधक—सह—प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, शिवहर।
3.	श्रीमती ज्योत्सना वर्मा, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बक्सर।	परियोजना प्रबंधक—सह—प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बक्सर।
4.	श्री रूपेश कुमार झा, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, लखीसराय।	परियोजना प्रबंधक—सह—प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, लखीसराय।

(2) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राधा कृष्ण चौहान, अवर सचिव।

गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

12 अगस्त 2025

सं० 01/स्था०राज०-213/2021-1199—कृषि विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-3209 दिनांक-30.06.2025 के द्वारा बिहार कृषि सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी की सेवा गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना अंतर्गत उपलब्ध करायी गयी है। गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना अंतर्गत उपलब्ध कराये गये बिहार कृषि सेवा के पदाधिकारी द्वारा दिये गये योगदान की तिथि से योगदान स्वीकृत करते हुए उनके नाम के सामने कॉलम-5 में अंकित पद पर पदस्थापित किया जाता है:-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	योगदान की तिथि	पदस्थापन हेतु पद/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री विनय कुमार पाठक	मधुबनी	04.08.2025	सहायक निदेशक (शष्प) योजना, ईख विकास, कार्यालय—संयुक्त निदेशक (शष्प), ईख विकास, बिहार, पटना।

2. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझें जायेंगे।

3. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार, अवर सचिव।

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

14 अगस्त 2025

सं० प्रेस (शाखा) 490/2021-22-सू०ज०स०वि०—भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन प्रदत्त कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार राज्य के मीडिया कर्मियों को बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन एवं पारिवारिक सम्मान पेंशन देने के निमित्त एवं सम्मान पेंशन को प्राप्त करने हेतु पात्रता, सम्मान पेंशन की राशि, अवधि एवं अन्य शर्तों को विनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली, 2019 में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:**—यह नियमावली “बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना (संशोधन) नियमावली, 2025” कही जा सकेगी।

(i) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(ii) यह राज्य पत्र में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली, 2019 के नियम-4**

(1) में संशोधन— उक्त नियमावली के नियम-4 (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:—

कड़िका-4 (1) : बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन की राशि 15,000/- (पंद्रह हजार) प्रति माह होगी।

3. **बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली, 2019 के नियम-5 में संशोधन—** उक्त नियमावली के नियम-5 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:

कड़िका-5 : बिहार पत्रकार पारिवारिक सम्मान पेंशन योजना— पत्रकार सम्मान पेंशन योजना लाभुक की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित पति/पत्नी को जीवनपर्यन्त प्रतिमाह 10,000/- (दस हजार) की राशि पेंशन के रूप में देय होगी, बशर्ते वो मीडिया संस्थान में या सरकारी सेवा में कार्यरत न हों।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अनुपम कुमार, सचिव।

The 14th August 2025

No. Press (Branch) 490/2021-22--I&PRD—In exercise of the executive powers conferred under Article 162 of the Constitution of India, the Department of Information and Public Relations, Government of Bihar makes the following rules to amend the Bihar Patrakar Samman Pension Scheme Rules, 2019 for the purpose of providing Bihar Patrakar Samman Pension and Family Samman Pension to the media personnel of the State and for specifying the eligibility, amount of Samman Pension, period and other conditions for receiving Samman Pension:-

1. Short title, extent and commencement.-(1) These rules may be called the "Bihar Patrakar Samman Pension Scheme (Amendment) Rules, 2025".

(2) It will extend to the entire State of Bihar.

(3) This notification will come into force from the date of publication in gazette..

2. Amendment of Rule 4 of Bihar Patrakar Samman Pension Scheme Rules, 2019.- Rule-4 (1) of Bihar Patrakar Samman Pension Scheme Rules-2019 shall be substituted by the following:-

“4(1): The amount of Bihar Patrakar Samman Pension shall be Rs. 15,000/- (fifteen thousand) per month.”

3. Amendment of Rule 5 of Bihar Patrakar Samman Pension Scheme Rules, 2019.--Rule 5 of Bihar Patrakar Samman Pension Scheme Rules, 2019 shall be substituted by the following:-

“ 5: Bihar Patrakar Parivarik Samman Pension Scheme- After the death of the Patrakar Samman Pension Scheme beneficiary, an amount of Rs. 10,000/- (ten thousand) per month shall be payable as pension to his/her dependent husband/wife for life, provided he/she is not working in a media institution or in Government service.”

By order of the Governor of Bihar,
Anupam Kumar, Secretary.

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

4 जुलाई 2025

सं० 02स्था0-91/2023-1681/वि0स01--प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, बिहार से प्राप्त पत्रांक-LR:160620251200259, LR No : 0130/2025-2026 के आलोक में श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, मुख्य प्रतिवेदक, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248 (क) के तहत दिनांक 09.06.2025 से 20.06.2025 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त सेवा संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक-21.06.2025 एवं 22.06.2025 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति दी जाती है। अवकाश उपभोग के उपरांत इनके उपार्जित अवकाश कोष में कुल-288 दिनों का अवकाश शेष है।

आदेश से,
सुधीर कुमार सिंह, अवर सचिव।

लघु जल संसाधन विभाग

प्रभार प्रतिवेदन

28 जुलाई 2025

सं० 2635—अधोहस्ताक्षरी मैं, अजय कुमार शर्मा, बिहार सचिवालय सेवा (सिविल लिस्ट 2023 का क्रमांक-1083) आज दिनांक-25.07.2025 के पूर्वाह्न में लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-204-सह-पठित ज्ञापांक-5285 दिनांक-23.07.2025 के अनुपालन में प्रशाखा पदाधिकारी, मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, लघु जल संसाधन विभाग, पटना का प्रभार स्वतः ग्रहण करता हूँ।

(लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-204-सह-पठित ज्ञापांक-5285 दिनांक-23.07.2025 कृपया द्रष्टव्य)।

प्रतिहस्ताक्षरित

(अजय कुमार शर्मा)
भारग्राही पदाधिकारी।
आदेश से,
सुनील कुमार, मुख्य अभियन्ता।

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

आदेश

14 अगस्त 2025

सं० एल/एच०जी०-14-14/2025-9141—महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-5269 दिनांक-07.08.2025 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मो० एहतेशाम अली, जिला समादेष्टा, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना को प्रथम संतान की देखभाल करने एवं पारिवारिक कर्तव्य का निर्वहन करने हेतु दिनांक-18.08.2025 से 01.09.2025 तक कुल 15 (पंद्रह) दिनों का पितृत्व अवकाश प्रदान करने अथवा अपेक्षित तिथि से पूर्व प्रसव होने की स्थिति में पितृत्व अवकाश को प्रस्थान की तिथि से उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद, उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 22—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bihar.gov.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

सूचना

No. 779--I, SANJU KUMARI, W/O.-SANJAY KUMAR, Mo-Patel Colony Sandalpur Road Patna Bihar 800006 do solemnly affirm and declare as per Affidavit No. 652, dated-11.06.2025 that my name is mentioned in my Aadhar card and pan card as SANJU KUMARI Correct. But my son's VINIT KUMAR 10th matriculation C.B.S.E Certificate my name has been wrongly mentioned as SANJU DEVI. that from now I will be know as SANJU KUMARI for All future purpose.

SANJU KUMARI.

No. 780--I, NIKHIL, S/o Shailendra Pandey, Residence Jayanti Bungalow-04 Vastu Vihar Phase-8 Bela Near Shiwala Chowk P.O.-Neora Distt.-Patna-801113 Bihar do solemnly affirm and declare as Affidavit No.-75. dated 03.06.2025 that I Nikhil want to add surname to Pandey. that my name has been recorded as Nikhil in my all educational certificates and Aadhar card Pan card. That from now I will be know as NIKHIL PANDEY for all future purpose.

NIKHIL.

सं० 781--मैं मो० नसीम पिता-मो० जहीरुद्दीन मंसूरी साकिन-कौरा, थाना-जगदीशपुर पो०-नवादा बेन, नवादा भोजपुर-जिला भोजपुर का स्थायी निवासी हूँ तथा शपथपूर्वक निम्नलिखित बातों का घोषणा करता हूँ यह कि मैं उपरोक्त पते की स्थायी निवासी हूँ मेरा आधार कार्ड नं० 320208430789 है, यह कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम मो० नसीम अंकित है, यह कि मेरे 10वीं के अंक पत्र में मेरा नाम मो० नसीम मंसूरी अंकित है। मो० नसीम एवं मो० नसीम मंसूरी दोनो एक व्यक्ति का नाम है, यह है कि मेरा सही नाम मो० नसीम मंसूरी है अब मैं मो० नसीम के जगह पर मो० नसीम मंसूरी के नाम से ही सभी कार्यों के लिए जाना व पहचाना जाऊँगा। शपथ पत्र संख्या 695 दिनांक 21.06.2025.

मो० नसीम।

No. 782--I, Bharti Kumari W/o Varun Kumar, R/o-Village-Kumarpatti, P.O.-Bharathi, P.S.-Simari, Distt.-Darbhanga, Bihar-847428 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-1871 dtate 18.06.25 that my name is written in my Aadhar, Pan card, educational and other documents as Bharti Kumari whereas in N.I.O.S. Diploma certificate written as Bharti-Kumari Singh. Both names are same and, one person. That from now I will be known as Bharti Kumari for all purposes.

Bharti Kumari.

No. 783-- I, BARUN KUMAR, S/O.-MAHESH SAH, Mo- Kathghar, P.o-Baina, Ps-Pranpur Katghar Karimullahpur Dist-Katihar Bihar 854116 do solemnly affirm and declare follows as per Affidavit No. 654 dated-13.06.2025 that I am citizen of India. I am permanent resident of the above address. that in my Aadhar card and Pan Card my name has been wrongly written as BARUN KUMAR SAH. But my correct name is BARUN KUMAR as my Educational document. That I will be know as **BARUN KUMAR** for All future purpose.

BARUN KUMAR.

No. 784--I Balmiki Prasad Singh Harishchandra Prasad Singh S/O Harishchandra Singh R/O 116, Narha, Sitamarhi, Bihar- 843327 declare vide affidavit no. 4019 dated 26.06.2025 That in my aadhar card my name is mentioned as Balmiki Prasad Singh Harishchandra Prasad Singh in my voter Identity card my name mentioned as Balmiki Prasad Harishchandra Singh and in driving license as Balmiki PD Harishchandra Singh. That Balmiki Prasad Singh Harishchandra Prasad Singh, Balmiki Prasad Harishchandra Singh and Balmiki PD Harishchandra Singh are the names of same and one person. That I shall only be known as Balmiki Prasad Harishchandra Singh for all purposes.

Balmiki Prasad Singh Harishchandra Prasad Singh.

सं० 787--मैं YOGENDRA YADAV, पिता-THAKAN YADAV, साकिन-झोझी, वार्ड नं०-11, पोस्ट-परौल थाना अरेर, जिला मधुबनी पिन कोड-847229, मेरे पुत्र राहुल कुमार यादव (RAHUL KUMAR YADAV) के CBSE वर्ग 10TH एवं LNMU से स्नातक (B.Sc) के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम योगेन्द्र यादव (YOGENDRA YADAV) दर्ज हो गया है जो गलत है। मेरा सही नाम योगेन्द्र यादव (YOGENDRA YADAV) है जो मेरे आधार कार्ड पर अंकित है। अब मैं योगेन्द्र यादव (YOGENDRA YADAV) के नाम से भविष्य में जाना एवं पहचाना जाऊंगा. शपथ पत्र सं०-8519/25, दिनांक 17.07.2025.

YOGENDRA YADAV.

No. 788--I, Akhileshwar Prasad Singh S/o Late Jiteshwar Prasad Singh R/o Flat No.-301, Pandui Kothi Boring Road Chandrakant Apartment, Budha Colony, Patna Bihar-800001. do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 863 dt. 22.02.25 that Parth Kishore Singh is my minor Son as written in his birth certificate. That from now he will be known as Parth Narayan Vats for all future and legal purposes.

Akhileshwar Prasad Singh.

No. 789--I, Sunita Sinha W/o Rajiv Ranjan R/o C/o Raghu Nandan Dwivedi, Dwivedi House, East Boring Canal Road, Opposite Maheshwar Kunj Apartment, Patna GPO, Patna, Bihar-800001 solemnly affirm and declare vide affidavit no. 09 dated 28.05.25. That my name has been recorded in my Aadhar Card as Sunita Sinha and mentioned in my voter Id card as Sunita Ranjan. That Sunita Ranjan and Sunita Sinha are the names of same and one person. That instead of Sunita Ranjan I shall only be known as Sunita Sinha for all purposes.

Sunita Sinha.

No. 791--I, Chanda D/o Chandrashekhar Jha R/o Village+P.O.-Chandrahatti, P.S.-Kurhani, Distt. Muzaffarpur, Bihar-844120 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. no. 2657 dt. 24.05.2025 that my name is written in my 10th all educational documents as Chanda. Whereas in my Aadhar Card and other documents written as Chanda Jha. Both names are same and one person. From now I will be known as Chanda Jha for all purposes.

Chanda.

सं० 792--में रविन्द्र कुमार (Ravindra Kumar) पिता नारायण प्रसाद, पता-हरनीचक, वार्ड नं.-07, पो.- अनिसाबाद, थाना-बेऊर, पटना, बिहार-800002 शपथ पत्र सं.-7103, दिनांक 12.06.2025 द्वारा यह सूचित करता हूँ कि मेरा पुत्र अपूर्व (Apurv) भविष्य में अब अपूर्व देवांश (Apurv Devansh) के नाम से जाना व पहचाना जाएगा।

रविन्द्र कुमार (Ravindra Kumar).

No. 793--I, **MUHAMMAD SHAHUD** S/O **Nasir Ahmad**, resident of ward no.-04 flat no.- D-05, Centrestage Infra Elements Apartment, Nohsa, Phulwari Sharif, Patna-801505. Hereby solemnly affirms and declare that **MD AADIL** is my son. In my Aadhar & PAN card my name is mentioned as **MUHAMMAD SHAHUD**, which is true and correct. But in my son's all educational as well as in his all other documents, my name is mentioned as **MD SHAHOOD**, which is wrong. From now I shall be known as **MUHAMMAD SHAHUD** for all legal purposes. **Affidavit no. 360 DATE:- 08/07/2025.**

MUHAMMAD SHAHUD.

सं० 794--में, स्मिता रानी, पति स्वर्गीय अतुल आनन्द, C/O प्रिय रंजन प्रकाश, सीढ़ी घाट, दिवान मुहल्ला, श्रीराम मंदिर के पास, पटना सिटी, जिला-पटना, पिन-800008, राज्य -बिहार की निवासी हूँ। मेरी पुत्री अश्लेषा आनन्द के नामांकन संख्या -9307 कक्षा-10 सेक्शन-ई में मेरा नाम स्मिता आनन्द दर्ज है, जो गलत है। शपथ पत्र संख्या -5910, दिनांक-30/07/2025 के अनुसार मैं अब स्मिता रानी के नाम से जानी जाऊँगी। यह शपथ पत्र मैं अपनी पुत्री के नामांकन पंजीकरण में नाम सुधार के लिए बनाई हूँ।

स्मिता रानी।

No. 794--I, Smita Rani W/o-Late Atul Anand, C/o Priya Ranjan Prakash, resident of Sidhi Ghat, Diwan Mohalla, Shri Ram Mandir, Dist.-Patna, Pin - 800008, Bihar. In my daughter Ashlesha Anand's admin No : 9307, std-10th, Section-E my name is mentioned as Smita Anand, which is wrong. Through Affidavit No 5910, Date 30/07/2025 my name for the future and all purpose will be known as Smita Rani. I made this affidavit for the correction of my name in enrollment registration of my daughter.

Smita Rani.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 22—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bihar.gov.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० प्र०-I-रा०(आ०)-०९/२०२१-4299/एम०
खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

6 अगस्त 2025

श्री संजय कुमार, तत्कालीन सहायक निदेशक, मुख्यालय सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा थाना कांड संख्या-19/2021 दिनांक 05.10.2021, धारा-13(2)-सह-पठित धारा-13(1)(बी) भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत मामला दर्ज होने एवं उक्त काण्ड के अनुसंधान के क्रम में उनके आवास एवं अन्य ठिकानों पर दिनांक 06.10.2021 को तलाशी करने पर उनके विरुद्ध अप्रत्यानुपातिक धनार्जन का दस्तावेजी साक्ष्य पाया गया है।

2. श्री कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक 2803 दिनांक 17.06.2022 से उनसे लिखित अभिकथन की मांग की गयी, जिसके क्रम में श्री कुमार का लिखित अभिकथन दिनांक 19.07.2022 को प्राप्त हुआ।

3. श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त लिखित अभिकथन, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि प्रतिवेदन के आधार पर श्री कुमार द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के दोषी हैं।

4. श्री कुमार का स्पष्टीकरण/लिखित अभिकथन अस्वीकार करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत आरोपों की वृहद जाँच कराने का निर्णय लिया गया है। विभागीय संकल्प ज्ञापक 5416 दिनांक 28.10.2022 से विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी **संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमण्डल, पटना** तथा प्रस्तुतीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी, श्री घनश्याम झा (खनिज विकास पदाधिकारी), प्रभारी उप निदेशक, अंचल कार्यालय, पटना को नियुक्त किया गया।

5. संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 547 दिनांक 24.08.2023 से जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री कुमार के विरुद्ध आरोप संख्या-1 प्रमाणित नहीं होने, आरोप संख्या-2 प्रमाणित होने तथा आरोप संख्या-3 एवं 4 अंशतः प्रमाणित होने का मतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में आरोपित पदाधिकारी से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18(3) के तहत विभागीय पत्रांक 4817/एम० दिनांक 15.11.2024 से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री कुमार द्वारा दिनांक 26.12.2024 को कारण पृच्छा समर्पित किया गया। द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत श्री कुमार द्वारा पूर्व में दिये गये स्पष्टीकरण एवं द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समरूप प्रतीत हुआ। द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नई बात साक्ष्य के साथ उपलब्ध नहीं कराया गया है और ना ही इनके द्वारा अप्रत्यानुपातिक धनार्जन, गलत सम्पत्ति विवरणी देने तथा अपने सैलरी एकाउंट एवं परिवार के सदस्यों के खाता में बड़ी राशि रखने के संबंध में अपने बेगुनाही का कोई ठोस साक्ष्य दिया गया है। साथ ही इनके द्वारा अपनी पुत्री के नाम से NSC एवं KVP के रूप में ₹47,00,000/-(रुपये सैंतालीस लाख मात्र) के संबंध में सम्पत्ति विवरणी में जिक्र नहीं करना तथा बड़ी राशि का अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खाते में जमा करने तथा इसकी सही जानकारी सम्पत्ति विवरणी में नहीं देना गंभीर कदाचार को दर्शाता है। इस संबंध में श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

6. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्री संजय कुमार, तत्कालीन सहायक निदेशक, मुख्यालय सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध गठित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। उनके विरुद्ध आर्थिक अपराध थाना काण्ड संख्या-19/2021 दिनांक 05.10.2021 दर्ज है। श्री कुमार के विरुद्ध अप्रत्यानुपातिक धनार्जन, नियम के विरुद्ध कार्य कर सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाने जैसे गंभीर आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण बिहार पेंशन नियमावली, 1950 की नियम-43(बी) के तहत शत-प्रतिशत स्थायी तौर पर पेंशन जप्त करने का दण्ड अधिरोपण प्रस्ताव सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसपर विभागीय पत्रांक 1478 दिनांक 08.03.2025 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श मांगी गयी, जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 1402 दिनांक 01.07.2025 द्वारा दिनांक 19.06.2025 को आहूत आयोग की पूर्ण पीठ की वर्ष 2025 की 21वीं बैठक की कार्यवाही के द्वारा परामर्श दी गयी, जिसमें सम्यक विचारोपरांत आयोग द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गयी है।

7. अतएव श्री संजय कुमार, तत्कालीन सहायक निदेशक, (मु0) सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध अप्रत्यानुपातिक धनार्जन, नियम के विरुद्ध कार्य कर सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाने जैसे गंभीर आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के तहत **100% (शत प्रतिशत) पेंशन स्थायी तौर पर जप्त करने का दण्ड** अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भारत भूषण प्रसाद, अपर सचिव।

सं0 मं0मं0-02/स्था0-1040/2013-975

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

संकल्प

6 अगस्त 2025

विषय :- 'मुख्यमंत्री के आधारभूत संरचना सलाहकार' को ग्रामीण कार्य विभाग तथा जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आधारभूत संरचना की योजनाओं/परियोजनाओं के भी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के साथ-साथ इन विषयक नीतियों के सभी पहलुओं पर परामर्श देने हेतु प्राधिकृत करने के संबंध में।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या-1159 दिनांक-22.08.2013 द्वारा बिहार राज्य के अन्तर्गत आधारभूत संरचना प्रक्षेत्र (पथ, भवन एवं नगर विकास) की योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के साथ-साथ इन विषयक नीतियों के सभी पहलुओं पर परामर्श देने के लिए 'मुख्यमंत्री के आधारभूत संरचना सलाहकार' के पद का सृजन किया गया है।

02. विभागीय अधिसूचना संख्या-789 दिनांक-30.06.2025 द्वारा नियुक्त 'मुख्यमंत्री के आधारभूत संरचना सलाहकार' डॉ0 उदय कांत मिश्र को उक्त विभागों के अतिरिक्त ग्रामीण कार्य विभाग एवं जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आधारभूत संरचना की योजनाओं/परियोजनाओं के संबंध में भी परामर्श देने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट में प्रकाशित की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
निशीथ वर्मा, अपर सचिव।

सं0 कारा/नि0को0(अधी0)-01-16/2022-6013

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग (कारा)

संकल्प

13 अगस्त 2025

श्री राजेश कुमार राय, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा के मंडल कारा, सीतामढ़ी में पदस्थापन के दौरान वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में मंडल कारा, सीतामढ़ी में वित्तीय नियमों एवं विभागीय निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सरकारी एजेन्सी (BMSICL) से अल्प मात्रा में दवा क्रय करने तथा निजी एजेन्सी से अत्यधिक मात्रा में दवा क्रय किये जाने में बरती गई गंभीर वित्तीय अनियमितता के प्रतिवेदित आरोपों के लिए गठित प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6813 दिनांक-21.06.2022 द्वारा श्री राजेश कुमार राय, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की

गई तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. विभागीय कार्यवाही के जाँचोपरान्त संचालन पदाधिकारी-सह-आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1517 दिनांक-06.05.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री राय के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित सभी 03 आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के प्रावधान के तहत विभागीय ज्ञापांक-4943 दिनांक-12.06.2023 द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए श्री राजेश कुमार राय से द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब/लिखित अभ्यावेदन की मांग की गई। तद्आलोक में श्री राय द्वारा अपने पत्रांक-4944 दिनांक-05.07.2023 के माध्यम से अपना द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब/लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

4. श्री राजेश कुमार राय, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब/लिखित अभ्यावेदन को सम्यक् विश्लेषणोपरान्त अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित पाये गये आरोपों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 (vii) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2527 दिनांक-01.04.2025 द्वारा श्री राजेश कुमार राय, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी (सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा) के विरुद्ध निम्नांकित दंड अधिरोपित किया गया है:-

"कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर चार (04) वर्षों के लिए संचयी प्रभाव से वेतन की अवनति का दण्ड"।

5. विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2527 दिनांक-01.04.2025 द्वारा अधिरोपित उपर्युक्त दण्ड के विरुद्ध श्री राजेश कुमार राय, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा द्वारा पत्रांक-2763 दिनांक-15.05.2025 के माध्यम से पुनर्विलोकन अभ्यावेदन दायर किया गया है, जिसमें उनका कहना है कि यदि (BMSICL) से दवा नहीं मिली तो बिहार वित्त नियमावली, 2005 के नियम 131 (D) के अधीन Natural calamity की अवधि में ₹10 लाख रुपये तक के राशि का क्रय किया जा सकता है। जिस समय यह कार्रवाई हुई है, वह कोविड की महामारी में निर्णय लिया जाना अपेक्षित था। जहाँ तक सक्षम प्राधिकार की व्यवस्था का प्रश्न है, वित्त विभाग के पत्रांक-02-एम0आई0/6051/77-13065 वि०, दिनांक-20.09.2018 में यह प्रावधानित है कि सामग्री का क्रय कार्य की स्वीकृति में ही सम्मिलित रहेगा। बिहार वित्त नियमावली, 2005 के नियम-127 भी इसी आशय को सम्पुष्ट करता है। इस प्रकार अधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी, दवा क्रय हेतु आवंटित राशि से दवा के क्रय हेतु सक्षम प्राधिकार थे। कतिपय पत्रों के माध्यम से अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर से दवाओं के (BMSICL) से आपूर्ति हेतु इन्डेंट भेजे गए थे, जिससे यह स्थापित होता है कि (BMSICL) से दवायें प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किए गए। सर्वश्री शिवम् इन्टरप्राइजेज, पटना-30 को कर्नाटका एण्टीबायोटिक फार्मास्यूटिकल कम्पनी लि० (लोक उपक्रम) द्वारा बिहार के विभिन्न केन्द्रीय कारा, मंडल कारा, उपकारा आदि में दवाओं के आदेश प्राप्त करने एवं दवाओं की आपूर्ति उपक्रम की ओर से करने का पत्र भेजा गया है। साथ ही इस उपक्रम द्वारा संबंधित जिला के जिला चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल के उपाधीक्षक तथा विभिन्न केन्द्रीय कारा/उपकारा/मंडल कारा को संबोधित पत्र भेजे गये हैं, इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹15,31,000/- आवंटन के विरुद्ध ₹13,59,960/- के दवाओं का क्रय हुआ है, जिसमें से ₹11,57,767/- की दवायें कर्नाटका एण्टीबायोटिक एवं फार्मास्यूटिकल्स लि०, बैंगलूरु-10 से तथा ₹1,87,773/- की दवा (BMSICL) से किया गया है।

श्री राय द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि मंडल कारा, सीतामढ़ी के पत्रांक-782 दिनांक-14.03.2019 द्वारा निदेशक, कारा चिकित्सा सेवा, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को यह भी सूचित किया गया था कि विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में भारत सरकार के लोक उपक्रम के प्राधिकृत वितरक (Distributer) से दवा का क्रय किया जा रहा है। इस पत्र की प्रति महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार पटना को भी भेजी गयी है। (BMSICL) से दवा प्राप्त नहीं होने की परिस्थिति का महामारी में मुकाबला करने के लिए मंडल कारा, सीतामढ़ी के स्तर पर स्थानीय क्रय समिति का गठन किया गया।

श्री राय द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि सहायक कारा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-7689 दिनांक-03.12.2015 द्वारा निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-12/प०-09-05-2015-806(12), दिनांक-22.12.2015 की छायाप्रति सभी अधीक्षक, केन्द्रीय कारा/मंडल कारा/उपकारा को भेजी गयी थी। निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार, पटना का पत्र महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ को सीधे संबोधित था। इस पत्र में यही प्रावधानित है कि कुल 6 दवाओं को छोड़कर कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० द्वारा निर्मित औषधियों का क्रय इस शर्त पर किया जाना श्रेयष्कर होगा कि सर्वप्रथम दवा की गुणवत्ता की नियमानुकूल जाँच करा ली जाय और उसके पश्चात् ही औषधि को व्यवहार में लाया जाय। तदनुसार औषधि की गुणवत्ता

जाँच के आधार पर उक्त कम्पनी से दवा क्रय करने की अनुमति प्रदान की गयी। सरकार के इस आदेश के उपरांत कर्नाटक ऐन्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०, (भारत सरकार का उपक्रम) Banguluru-10 से दवाओं के क्रय का मामला बिहार वित्त नियमावली, 2016 के नियम-131(L) की परिधि में आ जाता है। इस प्रकार एकल निविदा प्रावधान के अनुसार सर्वश्री कर्नाटका ऐन्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० (भारत सरकार का उपक्रम) Banguluru-10, जिन्होंने सर्वश्री शिवम इण्टरप्राइजेज, पटना-30 को अपना प्राधिकृत वितरक नियुक्त किया है, जो सभी काराओं/सी०आर०पी०एफ०/चिकित्सा महाविद्यालय तथा 12 जिलों के जिला चिकित्सा पदाधिकारी के यहाँ दवा आपूर्ति के लिए प्राधिकृत किए गए हैं, से क्रय करने के प्रस्ताव को स्थानीय क्रय समिति से अनुमोदित किया गया तथा समय-समय पर उनसे दवायें प्राप्त की गयी।

श्री राय द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि कारा एवं सुधार सेवाएँ, निरीक्षणालय, बिहार, पटना के पत्रांक-कारा/ज०प्र०-14-71/2020-2443 दिनांक-03.04.2020 के कंडिका-03 में कहा गया है कि (BMSICL) से दवाओं की अनुपलब्धता की स्थिति में संबंधित दवाओं का क्रय अन्य एजेंसी से एक बार में एक माह का किया जा सकता है। इस निदेश के अनुपालन में वित्त नियमावली के विहित प्रावधानों का निर्वहन होना चाहिए। कोविड महामारी को देखते हुए विभिन्न महीनों में कर्नाटका ऐन्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० के प्राधिकृत वितरक से कारा चिकित्सा पदाधिकारी के माँग पर उतनी ही दवायें ली गयी हैं, जिनकी उपलब्धता अपरिहार्य थी तथा जो कारा में संसीमित बंदियों के चल रहे उपचार हेतु आवश्यक थी। इस प्रकार जो कार्रवाई हुई, वह बिहार वित्त नियमावली, 2016 के नियम-131(L) तथा बिहार वित्त नियमावली, 2005 के नियम 131(D) के अधीन थी। बिहार वित्त नियमावली, 2005 के नियम 131(D) के अधीन ₹50,001/- से ₹5 लाख तक का क्रय कोटेशन प्राप्त कर स्थानीय क्रय समिति की अनुशंसा से न्यूनतम वैद्यदाता से किया जा सकता है। जबकि नियम 131(L) तथा नामित फर्म से बिना कोई कोटेशन प्राप्त किए ₹25 लाख रुपये तक क्रय किया जा सकता है। इस प्रकार विभाग का निष्कर्ष किसी मान्य प्रावधान पर आधारित नहीं है। इस बिन्दु पर उनके स्तर से अनियमितता का कोई बिन्दु अन्तर्लीन नहीं है। इस प्रकार बिहार वित्त नियमावली, 2005 के नियम 131(D) तथा एकल निविदा प्रक्रिया, जो बिहार वित्त नियमावली, 2005 (तथा 2020 में यथा संशोधित) है, के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के निदेश का विधिवत अनुपालन कर दवाओं का क्रय भारत सरकार के उपक्रम के प्राधिकृत वितरक से किया गया है। जिस कारण कहीं किसी अनियमितता का कोई प्रश्न ही नहीं है। जहाँ तक डॉ० प्रशांत सिन्हा द्वारा दिनांक-18.04.2023 को मंडल कारा, सीतामढ़ी के पंजियों के जाँच में पाए गए तथ्यों का प्रश्न है, यह सर्वथा आधारहीन है।

श्री राय द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि मंडल कारा, सीतामढ़ी (BMSICL) से आपूर्ति हेतु लगातार माँग पत्र अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर को भेजी गयी है। मंडल कारा, सीतामढ़ी के पत्रांक-782 दिनांक-14.03.2019 द्वारा निदेशक, कारा चिकित्सा सेवा, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को वस्तुस्थिति की जानकारी देते हुए दिशा-निर्देश की भी माँग की गयी थी। इस परिप्रेक्ष्य में मंडल कारा, सीतामढ़ी के आदेश ज्ञापांक-1006 दिनांक-05.04.2019 द्वारा बिहार वित्त नियमावली के नियम 131(D) के अनुरूप स्थानीय क्रय समिति गठित की गयी तथा समय-समय पर स्थानीय दवा विक्रेताओं से कोटेशन प्राप्त कर तत्काल दवाओं की आपूर्ति ली गई।

श्री राय द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि सहायक कारा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-7689 दिनांक-31.12.2015 द्वारा निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-806(12), दिनांक-22.12.2015 द्वारा कर्नाटका एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित औषधियों का क्रय गुणवत्ता जाँच के उपरांत करने का आदेश हुआ। इस प्रकार बिहार वित्त नियमावली के नियम 131(L) के अधीन एकल निविदा, पृष्ठताछ का प्रावधान प्रभावी होगा। वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-2179 दिनांक-24.03.2020 द्वारा प्रावधानित किया गया कि "कोविड-19 महामारी के आलोक में आपातकालीन अधिप्राप्ति क्रय हेतु सक्षम प्राधिकार कर सकते हैं। जैसा कि स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सचिव निर्णय लें। प्रभारी सचिव, स्वास्थ्य विभाग को यह भी निर्णय लेना है कि कौन सी सामग्री/उपकरण किस अधिप्राप्ति में शामिल होंगे।" इस प्रकार (BMSICL) से दवायें प्राप्त नहीं होने के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध विकल्प के अभाव में बिहार वित्त नियमावली, 126 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए बिहार वित्त नियमावली के नियम 131(L) द्वारा यथा-प्रावधानित प्रावधान के अनुसार कर्नाटका एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स, बैंगलूरु, जो भारत सरकार का उपक्रम है, के द्वारा उत्पादित दवाओं की आपूर्ति बिहार में उनके प्राधिकृत वितरक शिवम इण्टरप्राइजेज से ली गई है। इस प्रकार इस मामले में बिहार वित्त नियमावली के नियम-126 का पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित हुआ है। जहाँ तक बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-797(viii) के अनुपालन का प्रश्न है, दवाओं एवं उपकरणों की आपूर्ति में यथासंभव मितव्ययिता बरती गई है। चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा समर्पित माँग पत्र का सावधानी पूर्वक परीक्षण किया गया है तथा भण्डार प्राप्ति, भण्डार निर्गम लेखा, अंत-रोगी पंजी, अस्पताल केश पुस्तिका, चिकित्सा पदाधिकारी का मिनट बुक, पर्यवेक्षणाधीन बंदी पंजी, अस्पताल में बाह्य रोगियों की पंजी, दवा, सामान एवं आहार के क्रय एवं खर्च का मासिक भण्डार खाता, कारा अस्पताल में बीमार, आहार एवं अन्य की अस्पताल पंजी परिशिष्ट-17 से 24 विधिवत् संधारित हुई है तथा समय-समय पर उनका सत्यापन किया गया है। बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-841(vi) के अनुसार प्रत्येक वर्ष जुलाई में औषधियों, चिकित्सा उपकरणों का वार्षिक भण्डार सत्यापन हुआ है। चिकित्सा पदाधिकारी ने

समय-समय पर भण्डार में रखे औषधियों का परीक्षण किया है तथा पाया है कि वे उपयोग के लिए अनुकूल स्थिति में हैं। इस प्रकार इस मामले में बिहार कारा हस्तक नियम-797(viii) के उल्लंघन का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री राय द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि वस्तुस्थिति यह है कि मंडल कारा, सीतामढ़ी में ही नहीं अपितु कई अन्य काराओं को एक रुपये की भी दवा (BMSICL) द्वारा नहीं दी गयी। दवाओं का क्रय आवंटन पर नहीं अपितु दवा की गुणवत्ता, बाजार में उपलब्धता, दवा की आवश्यकता एवं दवा के दाम पर निर्भर करता है। फिर कितनी दवा चाहिए, कौन-कौन सी दवा चाहिए, कब-कब दवा चाहिए, इसका आकलन एवं मात्रा का निर्धारण कारा के चिकित्सा पदाधिकारी के कर्तव्य क्षेत्र का विषय है, न कि कारा अधीक्षक के।

श्री राय का अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कहना है कि बिहार वित्त नियमावली के नियम 131(L) के तहत एकल निविदा पृष्ठताछ के माध्यम से सरकारी उपक्रमों/थोक विक्रेताओं से उपक्रम द्वारा निर्धारित दर पर दवायें मँगाई गई हैं। यहाँ स्थानीय बाजार से दवाओं के क्रय का मामला नहीं है। इसका व्यवस्थित रूप से निर्वहन यह स्थापित करता है कि उन्होंने सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(i)(ii) बिहार वित्त नियमावली के नियम 126, 131, बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम 797(viii) एवं 841 का अनुपालन करते हुए कर्तव्य के प्रति पूरी शीलनिष्ठा, अनुशासन, सद्भावना के साथ बिहार सेवा संहिता एवं अन्य मार्गदर्शनों का पूरी सजगता के साथ पालन किया है। श्री राजेश कुमार राय द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में उन पर अधिरोपित आरोपों/दण्ड से विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

6. श्री राजेश कुमार राय, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। श्री कुमार का अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कहना है कि (BMSICL) द्वारा पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में विभागीय पत्रांक-6952 दिनांक-14.11.2007 के निहित प्रावधान के तहत विज्ञापन निकालकर एजेन्सी से कोटेशन प्राप्त कर एवं तुलनात्मक विवरणी तैयार कर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर गुणवत्तापूर्ण एवं न्यूनतम दर पर दवा का क्रय किया जाना था, इस संबंध में वस्तुस्थिति की समीक्षा विहित परिप्रेक्ष्य में नहीं की गयी है। श्री राय का कहना है कि (BMSICL) से दवा नहीं मिली तो बिहार वित्त नियमावली, 2005 के नियम-131(D) के अधीन Natural calamity की अवधि में ₹10 लाख रुपये तक के राशि का क्रय किया जा सकता है। इस प्रकार अधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी दवा क्रय हेतु आवंटित राशि से दवा के क्रय हेतु सक्षम प्राधिकार थे। श्री राजेश कुमार राय का कहना है कि कतिपय पत्रों के माध्यम से अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर से दवाओं के (BMSICL) से आपूर्ति हेतु इन्डेंट भेजे गए थे, जिससे यह स्थापित होता है कि (BMSICL) से दवायें प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किए गए। इसकी जानकारी शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर को था।

जबकि विभागीय कार्यवाही के जाँच के क्रम में गवाह डॉ० प्रशांत सिन्हा, उप निदेशक, कारा चिकित्सा सेवा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक-18.04.2023 को मंडल कारा, सीतामढ़ी के तत्सम्बन्धी पंजियों की जाँच में यह पाया गया है कि (BMSICL) को Indent कर प्राप्त किया गया दवा पुनः स्थानीय स्तर पर खरीदा गया है। गवाह डॉ० प्रशांत सिन्हा द्वारा बताया गया कि PSUs अन्य एजेन्सी से दवा क्रय करने हेतु विभाग से कोई आदेश निर्गत नहीं होने के बावजूद PSUs या अन्य एजेन्सी से आवश्यकता से अधिक मात्रा में दवा क्रय किया गया। उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में श्री राय द्वारा बिहार वित्त नियमावली के नियम-126 एवं बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-797(viii) का अनुपालन नहीं कर निजी एजेन्सी से आवश्यकता से अधिक मात्रा में दवा का क्रय किया गया।

श्री राजेश कुमार राय, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी द्वारा वर्ष 2019-20 में कुल आवंटन के विरुद्ध निजी एजेन्सी से लगभग 99% मूल्य की दवा का क्रय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में दवा मद में प्राप्त आवंटन ₹15,31,000/- (पन्द्रह लाख एकतीस हजार) रुपये के विरुद्ध कुल ₹13,53,690/- (तेरह लाख तिरपन हजार छः सौ नब्बे) रुपये मूल्य की दवा का क्रय किया गया, जिसमें से निजी एजेन्सी से कुल ₹11,57,067/- (ग्यारह लाख सत्तावन हजार सड़सठ) रुपये की दवा क्रय की गई है, जबकि बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (BMSICL) से मात्र ₹1,87,773/- (एक लाख सत्तासी हजार सात सौ तिहतर) रुपये मूल्य की दवा का क्रय किया गया।

बिहार वित्त नियमावली के नियम-126 के अनुसार दक्षता, मितव्ययिता एवं पारदर्शिता लोक क्रय के मूल सिद्धांत हैं, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है। श्री राय को पूर्व वर्षों में दवा की वास्तविक खपत के आधार पर वर्ष 2019-20 के लिए दवा का क्रय किया जाना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा इस नियम का उल्लंघन कर वित्तीय वर्ष-2019-20 के लिए प्राप्त आवंटन के विरुद्ध काफी अधिक मूल्य की दवा क्रय किया गया है। इस प्रकार बिहार वित्त नियमावली के नियम-126 एवं बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-797(viii) का उल्लंघन करते हुए श्री राजेश कुमार राय, अधीक्षक द्वारा अत्यधिक मात्रा में दवा क्रय की गई है।

श्री राजेश कुमार राय, अधीक्षक का अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कहना है कि सर्वश्री शिवम् इन्टरप्राइजेज, पटना-30 को कर्नाटका एण्टीबायोटिक फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी लि० (लोक उपक्रम) द्वारा बिहार के विभिन्न केन्द्रीय कारा, मंडल कारा, उपकारा आदि में दवाओं के आदेश प्राप्त करने एवं दवाओं की आपूर्ति उपक्रम की ओर से करने का पत्र भेजा गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹15,31,000/- आवंटन के विरुद्ध ₹13,59,960/- के दवाओं का क्रय हुआ है, जिसमें से ₹11,57,767/- की दवायें कर्नाटका एण्टीबायोटिक एवं फार्मास्यूटिकल्स लि०, बैंगलूरु-10 से तथा ₹1,87,773/- की दवा (BMSICL) से किया गया है। विभागीय पत्रांक-7689 दिनांक-31.12.2015 के द्वारा राज्य के सभी काराओं को मेसर्स कर्नाटका एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० से दवा क्रय करने के संबंध में निदेश दिया गया है। साथ ही जिस शिवम् इन्टरप्राइजेज को दवाइयों का Indent मंडल कारा, सीतामढ़ी से किया गया है, वह मेसर्स कर्नाटका एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० का ही Authorized dealer है, जिसे मेसर्स कर्नाटका एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० के द्वारा Authority letter भी निर्गत किया गया है। इनके द्वारा बिहार के सभी काराओं एवं अन्य चिकित्सीय संस्थानों को दवाइयों की आपूर्ति किया जाता था। जबकि विभागीय पत्रांक-2737 दिनांक-28.05.2014 द्वारा (BMSICL) के माध्यम से राज्य की काराओं में दवाओं की आपूर्ति विहित प्रक्रिया एवं पद्धति के अंतर्गत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त विभागीय निर्देश के बावजूद मंडल कारा, सीतामढ़ी में (BMSICL) से दवाओं की आपूर्ति नहीं लेकर निजी एजेंसी से दवा खरीद की गई है। विभागीय पत्रांक-6952 दिनांक-14.11.2007 के माध्यम से काराओं में मात्र 10% दवा निजी एजेंसी से क्रय करने की अनुमति दी गई है। श्री राजेश कुमार राय के द्वारा उक्त विभागीय निर्देश का उल्लंघन कर तथा बिना वित्तीय नियमों का पालन किये हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 99% तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 85.48% निजी एजेंसी से दवा का क्रय किया गया है, जबकि मंडल कारा, सीतामढ़ी में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में निजी एजेंसी से इतनी अधिक मूल्य की दवा क्रय करने की कोई आकस्मिक परिस्थिति (emergency) नहीं थी।

श्री राजेश कुमार राय, अधीक्षक का अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कहना है कि (BMSICL) से दवायें प्राप्त नहीं होने के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध विकल्प के अभाव में बिहार वित्त नियमावली, 126 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए बिहार वित्त नियमावली के नियम-131(L) द्वारा यथा प्रावधानित प्रावधान के अनुसार कर्नाटका एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स, बैंगलूरु के प्राधिकृत वितरक शिवम् इन्टरप्राइजेज से ली गई है। चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा समर्पित मांग पत्र का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया गया है तथा भण्डार प्राप्ति, भण्डार निर्गम लेखा, अंतःरोगी पंजी, अस्पताल कैश पुस्तिका, चिकित्सा पदाधिकारी का मिनट बुक, पर्यवेक्षणाधीन बंदी पंजी, अस्पताल में बाह्य रोगियों की पंजी, दवा, सामान एवं आहार के क्रय एवं खर्च का मासिक भण्डार खाता, कारा अस्पताल में बीमार, आहार एवं अन्य की अस्पताल पंजी का सत्यापन किया गया है। चिकित्सा पदाधिकारी ने समय-समय पर भण्डार में रखे औषधियों का परीक्षण किया है तथा पाया है कि वे उपयोग के लिए अनुकूल स्थिति में हैं। श्री राय का अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कहना है कि बिना अभिलेख की सम्यक् समीक्षा किये संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप को प्रमाणित करने/आंशिक रूप से प्रमाणित करने का निष्कर्ष सर्वथा आधारहीन, गलत, दुर्भावनापूर्ण तथा शंका पर आधारित है। कितनी दवा चाहिए, कौन-कौन सी दवा चाहिए, कब-कब दवा चाहिए इसका आकलन एवं मात्रा का निर्धारण कारा के चिकित्सा पदाधिकारी के कर्तव्य क्षेत्र का विषय है, न कि कारा अधीक्षक के। श्री राय का कहना है कि उनके द्वारा बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-797(viii) एवं 841 का अनुपालन करते हुए कर्तव्य के प्रति पूरी शीलनिष्ठा, अनुशासन, सदभावना के साथ बिहार सेवा संहिता एवं अन्य मार्गदर्शनों का पूरी सजगता के साथ पालन किया है।

जबकि, श्री राजेश कुमार राय, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में उक्त वित्तीय नियमों एवं विभागीय निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सरकारी एजेंसी (BMSICL) से अल्प मात्रा में दवा का क्रय किया गया है तथा निजी एजेंसी से अत्यधिक मात्रा में दवा का क्रय किया गया। यह बिहार वित्त नियमावली के नियम-126 एवं बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-797(viii) तथा उक्त विभागीय निर्देशों का उल्लंघन है। श्री राय के द्वारा उक्त निदेश का उल्लंघन कर तथा बिना वित्तीय नियमों का पालन किये हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 99% तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 85.48% निजी एजेंसी से दवा का क्रय किया गया है। बिहार वित्त नियमावली के नियम-126 के अनुसार दक्षता, मितव्ययिता एवं पारदर्शिता लोक क्रय के मूल सिद्धांत हैं, जिसका अनुपालन श्री राजेश कुमार राय के द्वारा नहीं किया गया है। काराधीक्षक को पूर्व वर्षों में दवा की वास्तविक खपत के आधार पर वर्ष 2019-20 के लिए दवा का क्रय किया जाना चाहिए था। श्री राय के द्वारा इस नियम का उल्लंघन कर वित्तीय वर्ष-2019-20 के लिए प्राप्त आवंटन के विरुद्ध काफी अधिक मूल्य की दवा का क्रय वित्तीय नियमावली के संगत प्रावधानों के प्रतिकूल जाकर किया गया है। इस प्रकार बिहार वित्त नियमावली के नियम-126 एवं बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-797(viii) का उल्लंघन करते हुए श्री राजेश कुमार राय, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी द्वारा अत्यधिक मात्रा में दवा क्रय की गई है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री राजेश कुमार राय, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा के मंडल कारा, सीतामढ़ी में पदस्थापन अवधि में वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में उक्त वित्तीय नियमों एवं विभागीय निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सरकारी एजेंसी (BMSICL) से अल्प मात्रा में दवा का क्रय

किया गया है तथा निजी एजेन्सी से बिना किसी आकस्मिकता के अत्यधिक मात्रा में दवा का क्रय किया गया है। यह बिहार वित्त नियमावली के नियम-126 एवं बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-797(viii) तथा विभागीय निर्देशों का उल्लंघन है। श्री राय का यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1) के सर्वथा प्रतिकूल है। इसके लिए विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए तथा प्रस्तावित दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति प्राप्त कर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राय को "कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर चार (04) वर्षों के लिए संचयी प्रभाव से वेतन की अवनति का दण्ड" अधिरोपित किया गया है। अतः उनका पुनर्विलोकन अभ्यावेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

7. अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री राजेश कुमार राय, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा के विरुद्ध गठित आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता पर विचार करने के उपरांत समेकित रूप से उन्हें दिया गया दण्ड न्यायोचित है एवं इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः उनके पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजीव जमुआर, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 22—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bihar.gov.in>